संख्या-5/2021/जी-2-149/दस-2021-604/82टी0सी0-2

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07 सितम्बर, 2021

विषयः- राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत अनुमन्य किराये के बदले स्पेशल कैश पैकेज सुविधा के लाभ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं परिवहन तथा होटल क्षेत्र की सुविधाओं में व्यवधान के कारण केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग न कर पाने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-F.No.12(2)/2020-EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा के बदले एक स्पेशल कैश पैकेज अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- भारत सरकार द्वारा लागू की गयी उक्त योजना के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत उसके बदले स्पेशल कैश पैकेज एवं उसके लिये अग्रिम की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था गयी थी।

3- यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ अनेक कार्मिकों ने दिनांक 31 मार्च, 2021 के पूर्व ले लिया था और सम्बन्धित बिल/वाउचर्स/क्लेम समयान्तर्गत प्रस्तुत कर दिये थे, किन्तु वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण उनके द्वारा किये गये क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सका, ऐसे कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके क्लेम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु अनेक प्रकरण परामर्श हेतु वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जा रहे हैं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के तहत प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए जिन कार्मिकों द्वारा बिल्स/वाउचर्स/क्लेम दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रस्तुत कर दिये गये थे, यदि उनका क्लेम नियमानुसार है तो उसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक कर दिया जाये।

भवदीय,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2021/जी-2-149(1)/दस-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।